

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

कोनी - बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) 495009

कार्यशाला/संगोष्ठी/सेमीनार/शोध कार्य अनुदान नियम, 2016

(Refer Section Statutes No 3(A))

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ -

- (1) इस नियम का संक्षिप्त नाम विश्वविद्यालय कार्यशाला/संगोष्ठी/सेमीनार/शोध कार्य अनुदान नियम, 2016 होगा।
- (2) इसका विस्तार विश्वविद्यालय के अधीनस्थ समस्त विभाग में होगा।
- (3) यह विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् में अनुमोदन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. शोध नियम के उद्देश्य -

यह नियम विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में शोध कार्य को बढ़ावा देने, शोध कार्य हेतु पात्रता, बजट की उपलब्धता एवं उपादेयता के आधार पर राशि का आवंटन करने हेतु निर्मित किया जा रहा है।

3. परिभाषा -

इस नियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

- (क) "विभाग" से अभिप्रेत है; परिनियम क्रमांक 10 (A) में उल्लेखित विषयों से संबंधित विभाग;
- (ख) "शिक्षक" से अभिप्रेत है; विश्वविद्यालय में अध्यापन तथा छात्रों जो किसी भी पाठ्यक्रम के हों को मार्गदर्शन देने वाले ऐसे आचार्य, उपाचार्य, सहायक आचार्य तथा अन्य किसी व्यक्ति को जो अध्यादेश द्वारा अधिकृत हो तथा इसमें क्षेत्रीय केन्द्र व शिक्षण केन्द्र के पूर्ण-कालिक व अंश कालिक शिक्षक भी आते हैं;
- (ग) "कुलपति" से अभिप्रेत है; विश्वविद्यालय का कुलपति;
- (घ) "विद्या परिषद्" से अभिप्रेत है; विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्;
- (ङ) इस नियम द्वारा परिभाषित नहीं किये गए शब्दों का वही अर्थ होगा जो छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) की धारा 4 तथा पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्र. 26 सन् 2004) की धारा 2 में विद्यमान है।

4. प्रस्ताव तैयार करना -

प्रत्येक अकादमिक सत्र के प्रारंभ में विभाग के शिक्षक अपने विभाग प्रमुख के माध्यम से प्रायोजित नये शोध कार्यों में कार्यशाला/संगोष्ठी/सेमीनार का शोध कार्य या शोध परियोजना हेतु प्रस्ताव तैयार करेंगे। प्रस्ताव निम्न प्रकार से प्रस्तुत किये जा सकेंगे -

VERIFIED

REGISTRAR

Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

Dr. S. Rupendra Rao
Incharge NAAC Criteria-III
PSSOU, CG Bilaspur

- (क) सेमीनार/कार्यशाला/संगोष्ठी का प्रस्ताव प्राप्त होने पर इसका मूल्यांकन एक समिति द्वारा प्राप्त किया जाएगा। समिति का गठन निम्नानुसार होगा :
- कुलपति द्वारा नामित अध्यक्ष
 - कुलपति द्वारा नामित दो शिक्षक सदस्य
 - वित्त अधिकारी सदस्य

समिति की बैठक में शिक्षक अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। उपयुक्त पाये जाने पर समिति बजट के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए राशि आवंटित करने की संस्तुती भी प्रदान करेगी।

- सेमीनार के आयोजन के पश्चात् आयोजनकर्ता 15 दिवस के अन्दर उसका लेखा प्रस्तुत करेगा।
- सेमीनार इत्यादि के लिए आयोजनकर्ता अन्य फंडिंग संस्था से भी नियमानुसार अनुदान प्राप्त कर सकेंगे।
- सेमीनार इत्यादि के आयोजन पश्चात् बचत राशि विश्वविद्यालय निधि में जमा करना होगा।
- भारत देश के अंदर यदि किसी शिक्षक का शोध-पत्र सेमीनार के लिए स्वीकृत किया गया है या उसे आमंत्रित किया गया है तो उसका यात्रा-व्यय तथा पंजीयन शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा दिया जायेगा बशर्ते कि उसे आयोजित करने वाली संस्था से यात्रा-व्यय प्राप्त नहीं हो रहा है।

(ख) शोध प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण -

विभागों से प्रति अकादमिक वर्ष शोध प्रस्ताव तैयार किये जायेंगे, जिन्हें अनिवार्यतः महान्त जून तक प्रस्तुत किये जा सकेंगे। इस तरह प्राप्त प्रस्तावों को मूल्यांकन शोध समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

- शोध संबंधी प्राप्त प्रस्तावों की उपादेयता, शोध में लगने वाले समय, राशि की स्वीकार्यता हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाएगा-
 - कुलपति द्वारा नामित अध्यक्ष
 - कुलपति द्वारा नामित दो शिक्षक सदस्य
 - कुलपति द्वारा नामांकित एक विषय-विशेषज्ञ जो इस विश्वविद्यालय से बाहर का हो।
 - वित्त अधिकारी सदस्य
- शोध कार्य समापन के पश्चात् आयोजनकर्ता 15 दिवस के अन्दर उसका लेखा प्रस्तुत करेगा।
- शोध कार्य समापन के पश्चात् बचत राशि विश्वविद्यालय निधि में जमा करना होगा।

VERIFIED



REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)


Dr. S. Rupendra Rao
Incharge NAAC Criteria-III
PSSOU, CG Bilaspur

ख. 4 मूल्यांकन -

"शोध समाप्ति के पश्चात् प्रतिवेदन जमा करने के पूर्व शोधकर्ता को Pre Submission Seminar देना होगा तथा सेमीनार में विषय-विशेषज्ञ के सुझाव कि अनुरूप सुधार कर प्रतिवेदन जमा किया जा सकेगा। प्रतिवेदन का मूल्यांकन विषय-विशेषज्ञ के द्वारा किया जाएगा, जो यह रिपोर्ट देगा कि Pre Submission Seminar में दिये गये सुझाव को शोधकर्ता ने अपने शोध रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया है। विशेषज्ञ को मूल्यांकन कार्य हेतु रु. 2,000/- मानदेय देय होगा।

5 विश्वविद्यालय में आयोजित ऐसे कार्यशाला/संगोष्ठी/सेमीनार/शोध कार्य इत्यादि के प्रतिवेदन को अनुमोदन के लिए माननीय कुलपति जी को प्रस्तुत किया जाएगा एवं विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की बैठक होने पर इसकी सूचना वहां भी दी जाएगी।

6 पब्लिकेशन का कापीराइट -

सभी तरह के शोध संबंधी कार्यों के पब्लिकेशन के कापीराइट का अधिकार विश्वविद्यालय के पास पूर्णतः सुरक्षित रहेगा।

7 विवादों का निराकरण -

इस नियम के अंतर्गत उत्पन्न किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में विश्वविद्यालय के कुलपति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

—000—

(विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 20 वीं बैठक दिनांक 02/09/2016 एवं कार्यपरिषद् की 53 वीं बैठक दिनांक 05/09/2016 में अनुमोदित)

संशोधन-

(विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 31 वीं बैठक दिनांक 25/06/2020 एवं कार्यपरिषद् की 94 वीं बैठक दिनांक 30/06/2020 में अनुमोदित)

VERIFIED



REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)


Dr. S. Rupendra Rao
Incharge NAAC Criteria-III
PSSOU, CG Bilaspur